



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/32/2016/एफ०सी० 117

दिनांक : 13-4-17

सेवा में,  
विशेष सचिव (वन),  
उत्तर प्रदेश शासन,  
बापू भवन, लखनऊ।

विषय: एटा-शिकोहाबाद मार्ग (एस०एच०-85) किमी० 3.1325 की दांयी पटरी पर ग्राम-निधौली खुर्द के खसरा संख्या- 999स/1 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0794 हे० (पूर्व में 0.0768 हे०) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 277/14-2-2016-800 (39)/2016, दिनांक- 22.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 01.11.2016 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उ० प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. प्रस्तावित वन भूमि की क्षेत्रफल की गणना प्रस्ताव में दिये गये ले आउट प्लान से भिन्न है।
2. इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 01.11.2016 के क्रम में यह सूचित करना है कि प्रकरण के ऑनलाईन विवरण (online version) में संलग्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार अपलोड नहीं किया गया है। प्रस्ताव को सही क्षेत्रफल के अनुसार संशोधित करें।

*Smaw*  
*DTR*  
*25/4/17*

3678  
14  
25-4-17

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़, उ० प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा, उ० प्र०।
4. प्रभागीय प्रबन्धक, यू०पी० (वेस्ट), एस्सार ऑल्य लि०, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा, उ० प्र०।
5. राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रतावली

*Smaw*  
*25/4/17*  
(बृजेन्द्र स्वरूप)

वन संरक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक, वानिकी, प्रभाग, एच  
पत्रांक 2016/14-1 दिनांक एच 29-2017

उपरोक्त प्रभागीय प्रबन्धक, यू.सी. (के.ए.), एलएच ऑफिस लिमिटेड,  
ए-5, सेक्टर-3 जोधा, उ०प्र० को इस आशय के पत्र कि प्रत्येक में  
भारत सरकार के कार्यालय द्वारा लागू किए विनू सं० 1 व 2 की आरक्षितों  
का निराकरण का संशोधित क्षेत्रफल (सही क्षेत्रफल) के अद्यतन लेखक  
प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों को अनिलक्षण करते हुए संशोधित प्रमाण  
दस्तावेजों में तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कहें।

प्रभागीय निदेशक  
सामा० वानिकी प्रभाग  
एच